"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013—अग्रहायण 1, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई-1-15/2013/1/2.—श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), सचिव, माननीय राज्यपाल तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, को एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रमुख सचिव वेतनमान [HAG 67000- (annual increment @ 3%) 79000] में पदोन्नत किया जाता है.

2. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), को पदोन्नति पश्चात् अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), द्वारा पदोन्नति पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत श्री एन बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (सीजी:1985), केवल प्रमुख सचिव, वन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री अमिताभ जैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम 9 (1) के तहत सचिव, माननीय राज्यपाल के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. इस विभाग के पत्र क्र. ई 1-15/2013/1/2, दिनांक 07-09-2013 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को प्रमुख सचिव वेतनमान में रिक्ति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-3 (2) (iii) के तहत 30 दिवस के भीतर सहमति प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार की सहमति मानी गई है.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-05-2013 द्वारा श्री के.डी.पी. राव, भा.प्र.से. (1988), को विशेष-कर्तव्यस्थ-अधिकारी सह आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया था, चूंकि श्री राव द्वारा उक्त आदेश के पालन में अब तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है और पद रिक्त है, तथा विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था किया जाना आवश्यक है; अत: उपरोक्त वर्णित समसंख्यक आदेशों को अस्थाई रूप आस्थगित (In abeyance) करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 464/CHH-LA/2013, दिनांक 18 अक्टूबर 2013 के अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, समाज कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री साहू की पदस्थी अवधि में श्री के. डी. पी. राव अनिवार्य-प्रतिक्षारत (On Compulsory-Wait) रहेंगे.

2. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, लोक शिक्षण को अपने कर्त्तव्य के साथ-साथ सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा सचिव, समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

नया रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई 01-01/2013/एक/2.—छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के आबकारी नियंत्रण बाबत् निर्देशों के अनुपालन व समन्वय हेतु श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (टी.एन. : 2000) संचालक, तकनीकी शिक्षा पदेन विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, संचालक, रोजगार प्रशिक्षण व जनशक्ति नियोजन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कौशल उन्नयन मिशन तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, आबकारी विभाग तथा अतिरिक्त आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन अवधि के लिये सौंपा जाता है.

2. श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. इस आदेश द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई 01-01/2013/एक/2.—श्री उमेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (सीजी: 2005), उप सचिव, ऊर्जा विभाग, उप सचिव, सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 21-10-2013 से 13-12-2013 तक आयोजित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction Training) में भाग लेने हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्री विकास शील, भा.प्र.से. (सीजी:1994), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2013 द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर तथा सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल नियुक्त किया गया था, एतद्द्वारा उनकी सेवाएं वापस लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अनिल राय, भा.व.से. (1990), प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर को अपने कर्त्तव्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर तथा सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2013

क्रमांक ई 1-1/2013/एक/2.—श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (सीजीः 2002) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 9-11/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा खनिज साधन विभाग हेतु विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के स्वीकृत पद वेतनबैंड 37400-67000+ग्रेड वेतन 8700 पर श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त अपर संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4 (3) एवं 5 (दो) के तहत, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करता है.

2. श्री त्रिवेदी की संविदा नियुक्ति की शर्तें संविदा नियम, 2012 के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 2294/647/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, श्रम विभाग को दिनांक 19-08-2013 से 25-08-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26-08-2013 से 09-09-2013 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय, आगामी आदेश तक उप सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 1008/653/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 16-09-2013 से 20-09-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 21, 22-09-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 1010/713/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 15-10-2013 से 18-10-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 19, 20-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक 1012/589/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 01-07-2013 से 03-07-2013 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौधरी, आगामी आदेश तक उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2013

क्रमांक 1939/3564/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दावुलूरी श्रवण, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव को दिनांक 23-12-2013 से 09-01-2014 तक (कुल 18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-12-2013 एवं 22-12-2013 के विज्ञप्त शास. अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री श्रवण को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री दावुलूरी श्रवण, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. श्री दावुलूरी श्रवण, पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव का प्रभार श्री शंकर लाल बघेल, (रापुसे.) सेनानी, 16वीं वाहिनी, छसबल, नारायणपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दावुलूरी श्रवण, पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/एफ-17/2007/25-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक जारी अधिसूचना दिनांक 30-9-2013 में अंकित ग्रा. व पो. बेगनी पर ग्रा. व पो. बेंगची स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक-एफ-2-61/सात-2/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-दो के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"टीप.— अनुसूची-पांच के खण्ड 2 (क) के उप-खण्ड (दो), (तीन) एवं खण्ड 4 के उप-खण्ड (एक), (दो), (तीन), (पांच) एवं (छ:) के प्रावधानों में अन्य किसी बात के होते हुए भी स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक एवं लिपिकीय सेवा संवर्ग से नायब तहसीलदार के रिक्त पदों में चयन के लिए आयोजित होने वाली आगामी सीमित प्रतियोगी परीक्षा हेतु, अधिकतम आयु सीमा का बंधन मात्र एक बार वर्ष 2013-14 के लिए शिथिलनीय होगा तथा इस हेतु मूल नियम में वर्णित विषय, दो खण्डों का दो प्रश्न-पत्र, प्रत्येक खण्ड से 100 प्रश्न, कुल 200 अंकों का एवं समय 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जायेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-10/2011/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा की भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है अनुसूची चार के कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में अनुसूची चार के कॉलम (5) के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अनुसार भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रिमी-लेयर);

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगी।

4. **सेवा का गठन.–** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.–** सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.– (1)** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

एक. आयु (क) वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन पर अभ्यर्थी ने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो,

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये और उसके प्रवर्ग में सेवा की कालावधि 07 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह छूट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को भी लागू होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में

नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिये, जो परिवार नियोजन/कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप :

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) किसी अन्य मामले में, आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी।

(ड) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

दो. <u>शैक्षणिक अर्हताएं</u>.– (एक) अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन में है।

(क) आपवादिक मामलों में, आयोग शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थियों को अर्ह (योग्य) समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण किया हो जो आयोग की राय में प्रवेश/चयन के योग्य हो।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा योग्य है, किन्तु विदेशी विश्वविद्यालय, से उपाधि प्राप्त किया हो जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, आयोग के विवेक पर चयन के लिये विचार किया जा सकेगा।

तीन. शुल्क.– (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा शुल्क– ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, सीधे या परोक्ष रूप से आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय.**– (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(2) आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया के प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह

निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अन्तरालों पर ली जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) आयोग द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से समय समय पर ऐसी परीक्षा के लिए जारी पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और निर्देश के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, सीधी भर्ती के प्रकम में, पदों को छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंध तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

(4) सीधी भर्ती के प्रकम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा चयनित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य, महिला, विकलांग (निःशक्त) एवं भूतपूर्व सैनिक हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया

जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1)** आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में चयन सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिये शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के

लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नही की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. परिवीक्षा.– (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये

गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**– (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– **पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति**– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये कोई अन्य विचारण क्षेत्र (आधार) नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, उक्त सूची में व्यक्तियों की पच्चीस प्रतिशत संख्या को सम्मिलित करते हुए, एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।

(2) सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार तैयार किये जाने के समय अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम व्यवस्थित की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है;

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण;

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.–** (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदो पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतया इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—** (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.—** सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति :—** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

(2) इन नियमों में दी कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

(क) श्रम

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रमायुक्त	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000	10000
2.	अपर श्रमायुक्त	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000	8700
3.	उप श्रमायुक्त	3	प्रथम श्रेणी	15600–39100	7600
4.	सहायक श्रमायुक्त	7	प्रथम श्रेणी	15600–39100	6600
5.	श्रम पदाधिकारी	23	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400

(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
6.	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	1	प्रथम श्रेणी	37400–67000	8700
7.	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	8	प्रथम श्रेणी	15600–39100	6600
8.	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	18	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400
9.	सहायक संचालक (चिकित्सा)	01	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

(क) श्रम

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कुल पद	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग))
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क))	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रम विभाग	श्रमायुक्त	1	—	—	भारतीय प्रशासनिक सेवा
	अपर श्रमायुक्त	1	—	100%	—
	उप श्रमायुक्त	3	—	100%	—
	सहायक श्रमायुक्त	7	—	100%	—
	श्रम पदाधिकारी	23	33% (लोक सेवा आयोग द्वारा)	67%	—
(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा					
	संचालक,	1	—	100%	—
	उप संचालक	8	—	100%	—
	सहायक संचालक	18	100% (लोक सेवा आयोग द्वारा)	—	—
	सहायक संचालक (चिकित्सा)	1	100% (लोक सेवा आयोग द्वारा)	—	—

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

(क) श्रम

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक विशिष्टियां	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रम विभाग	श्रम पदाधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि	
(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा					
	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि अथवा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष उपाधि	
	सहायक संचालक (चिकित्सा)	21 वर्ष	30 वर्ष	शासन द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.बी.एस. की उपाधि तथा मेडिकल काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य	

टीपः– आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश भी लागू होंगे।

अनुसूची—चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

(क) श्रम

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पात्रता के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रम विभाग	उप श्रमायुक्त	5 वर्ष	अपर श्रमायुक्त	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य – अध्यक्ष सचिव, श्रम विभाग – सदस्य श्रमायुक्त – सदस्य
	सहायक श्रमायुक्त	5 वर्ष	उप श्रमायुक्त	–तदैव–
	श्रम पदाधिकारी	5 वर्ष	सहायक श्रमायुक्त	–तदैव–
	(1) सहायक श्रम पदाधिकारी (2) स्टेनोग्राफर वर्ग–2 (3) कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	श्रम पदाधिकारी	–तदैव–

(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	10 वर्ष	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	–तदैव–
	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	5 वर्ष	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	–तदैव–

Raipur, the 28th September 2013

No. F 1-10/2011/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the follwoing rules for regulating recruitment to Chhattisgarh Labour (Gazetted) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called Chhattisgarh Labour (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise require,

   (a) **"Appointing Authority"** means the Government of Chhattisgarh ;

   (b) **"Commission"** means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c) **"Committee"** means Departmental Promotion Committee constituted under Column (5) of Schedule IV with respect to post specified under Column (2) of Schedule IV;

   (d) **"Examination"** means a competitive Examination conducted for the recruitment as per Rule-11;

   (e) **"Government"** means Government of Chhattisgarh;

(f) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh ;

(g) **"Other Backward Classes"** means Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) of citizens as specified vide Notification No. F8-5 / Twenty five / 4-84, Dated 26-12-1984, as amended from time to time;

(h) **"Schedule"** means Schedule appended to this rule;

(i) **"Scheduled Caste"** means scheduled caste as specified in relation to Chhattisgarh State under Article 341 of Constitution of India;

(j) **"Scheduled Tribe"** means Scheduled Tribe as specified in relation to State of Chhattisgarh under Article 342 of Constitution of India;

(k) **"Service"** means the Chhattisgarh Labour (Gazetted) Service;

(l) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to each member of Chhattisgarh Labour (Gazetted) Services.

4. Constitution of the service.-The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these Rules are holding in officiating or substantively the posts specified in Schedule I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, pay-scale etc.**-The classification of service, the pay-scale related to them and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that, the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay-scale included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Mode of recruitment.** - **(1)** After the commencement of these rules, the recruitment to the service shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination / selection ;

(b) By promotion of member specified in column (2) of Schedule IV to post specified in column (4) of Schedule IV;

(c) By transfer of such persons who substantively holds such posts in services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of duty posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the Provisions of these rules, any particular vacancy as may be required to be filled during any particular period of recruitment the method or methods of recruitment to be adopted

for the purpose of filling and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of Government exigencies of the service so requires, the Government may with the prior concurrence of General Administration Department adopt such methods for the recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the Provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Keliye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under the said Act by General Administration Department of the Government shall be applicable.

7. **Appointment to service**.-After the commencement of these rules, all the appointments in the service shall be made by Appointing Authority, and no such appointment shall be made except after selection by one of methods of the recruitment specified in rule 6.

8.**Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

I <u>Age</u> :

(a) The Candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and should not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the

1st January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of Government of Chhattisgarh to the extent and subject to conditions specified below :-

(i) Age of the candidate, who is a permanent government servant, should not be more than 38 years and service period should not be more than 07 year in his cadre.

(ii) Age of the candidate, who is a temporary government servant, should not be more than 38 years. This relaxation shall also be applicable to the employees drawing salary from contingency fund, work charged working in Project Implementation Committees.

(iii) A candidate, who is retrenched government servant, shall be allowed to deduct, from his age, the period of entire temporary services previously rendered by him/her upto a maximum limit of 7 (Seven) years even if, it represents period of more than one services:

Provided that the resultant age should not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation - The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A Candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on -

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling of the conditions of enrolment.

(iii) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short Service Regular Commissioned Officers);

(iv) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-Serviceman invalidated out of Service;

(vi) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum period of two years for those candidates who are Green Card Holders under family Planning/welfare Programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Incentive Scheme as per Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotion Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 (five) years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhoor Award and Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award Holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of the candidates, who are employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

NOTE :

(1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits be relaxed, the departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the Examination/Selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) In any other case age limit shall not be relaxed;

(m) Apart from above, in respect of age limit the directions issued by the General Administration Department, from time to time, shall also be applicable.

II **Educational Qualifications.**-(i) The candidate must possess such Educational Qualifications prescribed for the services in Schedule III.

(a) In exceptional cases, the Commission on the recommendation of the Government may treat a candidate qualified, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other institutions by a standard which in the opinion of the Commission justifies the admission/selection;

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by government may also be considered for selection at the discretion of the Commission.

III **Fees.- (A)** The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

(B) Medical fees- The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9 **Disqualifications.- (1)** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means directly or indirectly may be held by the Commission to be disqualification from selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the

Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be ineligible for appointment to a service or post who has already one living children and next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born.

10 Commission decision about the eligibility of a candidate.- (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11 Direct Recruitment by Selection / Competitive Examination.- (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus for examination, plan, directions issued by the Appointing Authority in consultation with the Commission, from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Keliye Arakshan)

Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Woman, persons with disability and Ex-Soldier shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

12 **List of Candidates recommended by Commission.**- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in

administration and the list of candidates of each category belonging to women, person with disabilities/ex-servicemen in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be for a period of one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation.- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14 Appointment by promotion.-(1) There shall be a constitution of a committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of the eligible candidates.

Provided that under this sub-rule for the purpose of constitution of the Committee, the provision of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be adhered to

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The Procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15 **Conditions for eligibility for promotion.- (1)** Subject to the provisions of sub-rule 2, the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of the service (Whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- <u>Manner of computation for eligibility for promotion.</u>- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the Calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) (i) In the case where eligibility for promotion is to be determined on the basis of seniority-cum-fitness, then there shall not be any other consideration area for all categories. Proposals of such number of public servants shall be considered, as per seniority, which are sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name

within 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(5) The promotion shall be made as per the Reservation Roster prescribed by the Government.

16 Preparation of list of suitable candidates.-(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the Select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17 **Consultation with commission.- (1)** List prepared in accordance with Rule 16 shall be forwarded to the Commission, along with following documents, namely:-

a) The Records of all the persons included in the list;

b) record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list;

c) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV;

d) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18 **Selection list.-(1)** Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by

the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, then Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government, express any opinion after considering it, alongwith such modification, if any, in its opinion that is just and proper, will approve the list finally, but once it is considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

19 Appointment to the service from the selection list.-(1) Appointment of the persons included in the selection list to the posts borne on the cadre of the service, shall follow the order in which the names of such officers appear in the selection list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20 Probation.-Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

21 **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation**.- Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23 **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the Commencements of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have madeor taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the Instructions/order issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. R. MALVIYA, Deputy Secretary.

SCHEDULE I

[See Rule 5]

(A) LABOUR

S.No.	Name of posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay scale	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1	Labour Commissioner	1	First Class	37400-67000	10000
2	Additional Labour Commissioner	1	First Class	37400-67000	8700
3	Deputy Labour Commissioner	3	First Class	15600-39100	7600
4	Assistant Labour Commissioner	7	First Class	15600-39100	6600
5	Labour Officer	23	Second Class	15600-39100	5400
(B) INDUSTRIAL HEALTH AND SAFETY					
6.	Director Industrial Health And Safety	1	First Class	37400-67000	8700
7.	Deputy Director Industrial Health And Safety	8	First Class	15600-39100	6600
8.	Assistant Director Industrial Health And Safety	18	Second Class	15600-39100	5400
9.	Assistant Director (Health)	01	Second Class	15600-39100	5400

SCHEDULE II

[See Rule 6]

METHOD OF RECRUITMENT

(A) LABOUR

Name of Department	Name of Service	Total Post	Percentage of the number of post to be filled		By Temporary transfer of persons from other service (Rules 6(1)(c))
			By Direct Recruitment (Rules 6 (1) (a))	By promotion of members of service (Rules 6(1) (b))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Labour Dept	Labour Commissioner	1	-	-	IAS
	Additional Labour Commissioner	1	-	100%	
	Deputy Labour Commissioner	3	-	100%	
	Assistant Labour Commissioner	7	-	100%	
	Labour Officer	23	33%(by Public Service Commission)	67%	

(B) INDUSTRIAL HEALTH AND SAFETY

	Director	1	-	100%	
	Deputy Director	8	-	100%	
	Assistant Director	18	100%(by Public Service Commission)		
	Assistant Director Health	01	100%(by Public Service Commission)		

SCHEDULE III

[See Rule 8]

(A) LABOUR

Name of Department	Name of Post and Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Academic specification	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Labour Office	Labour Officer	21 Year	30 Year	Bachelor Degree in any discipline from a recognized University	

(B) INDUSTRIAL HEALTH AND SAFETY

Name of Department	Name of Post and Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Academic specification	Comments
	Assistant Director Industrial Health And Safety	21 Year	30 Year	Bachelor Degree in any Branch of Engineering and Technology from a recognized University or Institution or Equivalent Degree approved by the State Government	
	Assistant Director Health	21 Year	30 Year	MBBS Degree from a recognized Institution approved by the Government and compulsory registration of Medical Council	

Note: – Order issued from time to time by the General Administration Department regarding the age limit will also apply.

SCHEDULE IV

[See Rule 14]

(A) LABOUR

Name of Department	Name of the post Whereby The promotion	Eligibility for a minimum period of experience	The name of the Post will be promotion	Departmental Promotion Committee members named (See Rules 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Labour Office	Deputy Labour Commissioner	5 Year	Additional Labour Commissioner	Public Service Commission Chairman or his nominated Member-President Secretary, Department of Labour – Member Labour Commissioner - Member
	Assistant Labour Commissioner	5 Year	Deputy Labour Commissioner	--do--
	Labour Officer	5 Year	Assistant Labour Commissioner	--do--
	(1)Assistant Labour Officer (2) Stenographer Class-2 (3) Office superintendent	5 Year	Labour Officer	--do--
(B) INDUSTRIAL HEALTH AND SAFETY				
	Deputy Director Industrial Health And Safety	10 year	Director Industrial Health And Safety	--do--
	Assistant Director Industrial Health And Safety	5 year	Deputy Director Industrial Health And Safety	--do--

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 08/चार/वि.स.चु./2013/5804, दिनांक 28-10-2013 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 78/2013/EPS, दिनांक 24-10-2013 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् विधान सभा आम निर्वाचन वर्ष-2013 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 11-11-2013, दिन सोमवार एवं 19-11-2013, दिन मंगलवार को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानों जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 1-31/2010/स.क./26.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-12-2010 के द्वारा श्री इन्दर चोपड़ा, सदर लाईन, धमतरी को, नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अंतर्गत आयुक्त, नि:शक्तजन नियुक्त किया गया था. श्री इन्दर चोपड़ा के द्वारा आयुक्त, नि:शक्तजन के पद से स्वेच्छा से त्याग-पत्र दिये जाने के कारण, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री इन्दर चोपड़ा द्वारा दिया गया त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए, आयुक्त, नि:शक्तजन का पद रिक्त घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम.पी./3522	दिनांक 01-10-2013 से 31-12-2013 तक
2.	एम.पी./3569	दिनांक 03-10-2013 से 02-04-2014 तक
3.	एम.पी./3799	दिनांक 29-08-2013 से 31-03-2014 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6).—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-4-7/010/1/2, दिनांक 20-09-2013 के द्वारा श्री ईमिल लकड़ा (भाप्रसे) पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, रायपुर (उप सचिव, गृह, परिवहन विभाग एवं संचालक, संपदा) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 21-10-2013 से 13-12-2013 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये नियोजित किया गया है.

2. श्री ईमिल लकड़ा के प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्रीमति श्रुति सिंह (आई.ए.एस.), संचालक उद्योग को अपने कार्य के साथ-साथ पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें छत्तीसगढ़ के पद पर कार्य करने हेतु नामित किया जाता है.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमति श्रुति सिंह को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदत्त की जाती है.

4. श्री ईमिल लकड़ा के प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस आदेश का प्रभाव स्वयंमेय समाप्त माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 03 अ/82, वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	नेवासपुर प. ह. नं. 41	0.590	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	नेवासपुर जलाशय अंतर्गत नहर माइनर क्रमांक-1 एवं 2 हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 4 अ/82, वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	खारा प. ह. नं. 41	0.576	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	नेवासपुर जलाशय अंतर्गत नहर माइनर क्रमांक-1 हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक/5891/भू-अर्जन/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-चितालंका, प. ह. नं. 3 (ब)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	286	0.40
योग		0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अटल विहार योजना अन्तर्गत कालोनी के रास्ता के लिये भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उलखर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.702 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1282	0.123
1276/2	0.062
1257/2	0.065
942/1	0.008
292	0.028
328	0.032
1230	0.008
468/2क	0.053
482/1	0.022
456	0.053
506/1ख	0.045
540	0.016
943	0.028
121	0.024
195	0.058
142/2	0.004
130/1	0.013
122/2	0.020
1279	0.62

(1)	(2)
1272	0.202
894	0.030
469/1	0.020
291	0.031
327	0.045
1229	0.004
1227/2	0.016
117/2	0.029
483, 484	0.067
506/2	0.052
561/2	0.024
944/1	0.012
939/1क	0.037
200	0.032
146	0.112
128/1	0.006
1208	0.008
1277/5क	0.006
1275/2	0.004
166/1	0.59
172/1	0.027
285	0.028
478/1	0.081
1231/1	0.006
452	0.088
466/2	0.043
485, 486, 489	0.032
886/1	0.040
950	0.038
944/2	0.016
892	0.022
188	0.161
144	0.018
127	0.055
1277/2क	0.046
1266/1	0.040
172/2	0.027
173/1	0.036
295/2	0.248
478/2	0.053
1228	0.008
1207	0.036
465	0.053
506/1ग	0.060
508/2	0.036
949	0.009
297/2	0.043
888	0.022
196	0.081
132/2	0.006
123	0.017
1277/3	0.020
1266/2	0.040
1227/1	0.016
293/1क	0.013
304/1	0.074
885/1क	0.013
1234	0.043
1209	0.025
457/1	0.046
507	0.028
544	0.060
1258/1	0.057
297/1	0.048
283/1	0.146
198	0.037
131/1क	0.018
122/1	0.022
योग 90	3.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुण्डीनाला नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 01 बी 121/13-14.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम रानीगुड़ा, प.ह.नं. 12, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-देवरी डुमरपाली, प.ह.नं. 05, तह. एवं जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, ग्राम देवरी डुमरपाली द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-रानीगुड़ा, प.ह.नं. 12, तह. एवं जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छ.ग. भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा/12	228/1	0.004	0.01
			229	0.016	0.04
			273/1	0.004	0.01
			234/6क	0.036	0.09
			228/2	0.012	0.03
			234/6ख	0.032	0.08
			275/4	0.008	0.02
			273/3	0.004	0.01
			235	0.024	0.06
			270/2क	0.036	0.09
			270/2ख	0.008	0.02
			272/1	0.004	0.01
			275/1	0.049	0.12
			272/2	0.004	0.01
			273/2	0.004	0.01
			275/3	0.020	0.05
			274	0.008	0.02
			275/2	0.008	0.02
			232/1	0.061	0.15
			227/1क	0.020	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा/12	227/2	0.020	0.05
		कुल खसरा संख्या	**21**	**0.382**	**0.95**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ
[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1688/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 1688 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	देवरी/05	200/1	0.045	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	देवरी/05	200/3, 200/5	0.097	0.24
			311/1, 311/2	0.093	0.23
			214	0.04	0.1
			218/2	0.061	0.15
			268/1, 268/2, 268/5, 268/3, 268/6, 268/4	0.158	0.39
			267/1	0.182	0.45
			305, 307	0.024	0.06
			304	0.085	0.21
			303/2, 303/4	0.049	0.12
			303/1	0.04	0.1
			303/3	0.032	0.08
			301/1, 301/2	0.012	0.03
			335/1, 335/2	0.109	0.27
			306	0.016	0.04
			337/18	0.008	0.02
			334/3, 334/6, 334/24, 334/25	0.008	0.02
			334/2, 334/5	0.032	0.08
			334/1, 334/4	0.024	0.06
			337/16	0.053	0.13
			337/14	0.049	0.12
			373, 375/3, 375/4	0.02	0.05
			313/3	0.024	0.06
			381/2	0.121	0.3
			375/2, 374, 375/1	0.138	0.34
			382/1	0.069	0.17
			398	0.024	0.06
			402/2, 383	0.287	0.71
			400	0.117	0.29
		कुल खसरा संख्या	**50**	**2.017**	**4.98**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिंये]

क्रमांक 1689/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1689 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा

ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुलबा/15	121/1	0.089	0.22
			115/1	0.012	0.03
			89	0.057	0.14
			47/1	0.020	0.05
			46/2	0.016	0.04
			117/1	0.016	0.04
			114/1	0.020	0.05
			113/1	0.012	0.03
			84	0.020	0.05
			83	0.008	0.02
			208	0.016	0.04
			85/1	0.020	0.05
			43/2	0.040	0.10
			87	0.045	0.11
			57	0.02	0.05
			41, 42	0.008	0.02
			43/1	0.006	0.01
			116/1	0.012	0.03
			44/1	0.04	0.10
			211	0.008	0.02
			193	0.004	0.01
			194	0.036	0.09
			207	0.012	0.03
			209	0.016	0.04

क्र. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			212/1	0.065	0.16
			213	0.04	0.10
			220	0.04	0.10
			246	0.02	0.05
			247	0.061	0.15
			245	0.028	0.07
			248	0.024	0.06
			249	0.020	0.05
			251	0.045	0.11
			252	0.202	0.50
			203	0.008	0.02
			206	0.016	0.04
			47/2	0.04	0.10
			58	0.012	0.03
			29	0.004	0.01
			90	0.016	0.04
			119/1	0.008	0.02
			253	0.004	0.01
		कुल खसरा संख्या	**42**	**1.206**	**2.98**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1690/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1690 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा/12	530/1	0.040	0.10
			530/2, 569/2	0.012	0.03
			563	0.040	0.10
			538/1	0.032	0.08
			540/2	0.049	0.12
			361/1ग	0.024	0.06
			522/8, 531/8	0.040	0.10
			351/2ख/2	0.020	0.05
			352/4ख	0.008	0.02
			337	0.040	0.10
			338/2	0.053	0.13
			354	0.012	0.03
			359	0.069	0.17
			339	0.049	0.12
			542	0.016	0.04
			361/1क	0.024	0.06
			529/1	0.012	0.03
			353/1	0.016	0.04
			527/1	0.040	0.10
			560/2	0.061	0.15
			541	0.073	0.18
			358	0.012	0.03
			560/1	0.012	0.03
			564	0.008	0.02
			561/3, 562	0.028	0.07
			554/2क	0.061	0.15
			539/2	0.040	0.10
			351/2ग	0.020	0.05
			361/1घ	0.032	0.08
			361/1च	0.057	0.14
			338/1	0.040	0.10
			561/2	0.024	0.06
			योग	**1.064**	**2.64**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ
[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1691/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1691 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरड़ामाल/13	86/1ख	0.020	0.05
			124/2	0.162	0.40
			86/2	0.020	0.05
			16/4	0.020	0.05
			22/1	0.065	0.16
			22/2क	0.008	0.02
			16/2	0.008	0.02
			127/2	0.040	0.10
			127/3	0.040	0.10
			17	0.036	0.09
			126	0.049	0.12
			21	0.061	0.15
			36	0.061	0.15
			33/1, 35/1	0.045	0.11
			127/1	0.061	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरड़ामाल/13	125/1ग	0.008	0.02
			125/1घ	0.008	0.02
			145/3	0.061	0.15
			20/1क, 20/1द	0.057	0.14
			128/3क	0.069	0.17
			28/2, 33/2, 29/2क, 34/1	0.174	0.43
			144	0.061	0.15
			28/1, 29/1, 30/3, 33/3 ख 34/2, 35/2	0.008	0.02
			145/1	0.057	0.14
			16/3	0.012	0.03
			124/1[illegible]	0.057	0.14
			124/1ङ	0.049	0.12
			143	0.008	0.02
		कुल खसरा संख्या	**28**	**1.325**	**3.27**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1692/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1692 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.,

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नन्देली/13	553/1	0.008	0.02
			557/1	0.004	0.01
			691/10	0.170	0.42
			769	0.008	0.02
			720/1	0.020	0.05
			311/1	0.008	0.02
			691/11ग	0.061	0.15
			306/1क	0.024	0.06
			306/1ठ	0.024	0.06
			306/1ढ	0.016	0.04
			691/8झ	0.097	0.24
			306/2ख	0.057	0.14
			760/1	0.109	0.27
			554/1	0.008	0.02
			680/3क	0.085	0.21
			770	0.016	0.04
			687/1	0.012	0.03
			688/1क	0.012	0.03
			543/1ख	0.089	0.22
			771/1	0.008	0.02
			541/2क	0.045	0.11
			542/2	0.040	0.10
			720/3क	0.020	0.05
			691/13	0.008	0.02
			546/2	0.032	0.08
			306/5क	0.053	0.13
			306/5ख	0.053	0.13
			306/5घ	0.004	0.01
			691/12	0.024	0.06
			516/2क	0.016	0.04
			518	0.032	0.08
			747/1क	0.008	0.02
			814/1	0.214	0.53
			313/2क, 314	0.008	0.02
			540	0.004	0.01
			521/2	0.020	0.05
			747/2, 752/2	0.061	0.15
			719/2	0.008	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			312	0.069	0.17
			558/1	0.032	0.08
			773/1	0.004	0.01
			812/1क	0.085	0.21
			812/2क	0.028	0.07
			808/1	0.012	0.03
			745/1	0.045	0.11
			519/1क	0.166	0.41
			544/1	0.004	0.01
			743/2	0.016	0.04
			720/4	0.028	0.07
			744/1	0.085	0.21
			517/1	0.028	0.07
			744/2	0.085	0.21
			542/1	0.040	0.10
			545/1	0.036	0.09
			520/1	0.093	0.23
			306/1च	0.016	0.04
			306/1झ	0.032	0.08
			306/1ञ	0.024	0.06
			306/1ट	0.024	0.06
			311/2	0.008	0.02
			691/8ज	0.016	0.04
			541/1	0.045	0.11
			720/6	0.073	0.18
			310/2	0.004	0.01
			681/2	0.073	0.18
			680/4क	0.004	0.01
			306/4ग	0.032	0.08
			720/2, 723/3	0.069	0.17
			811/2	0.020	0.05
			811/1	0.028	0.07
			807/2	0.008	0.02
			752/1क	0.053	0.13
			558/2	0.032	0.08
			543/2	0.069	0.17
			543/3	0.069	0.17
			720/4	0.020	0.05
			718/2झ	0.008	0.02
			812/2ङ	0.012	0.03
			814/3	0.012	0.03
			743/1	0.040	0.10
			773/1ग	0.012	0.03
			773/1घ	0.012	0.03
			814/2, 814/4, 814/6	0.040	0.10
			772/2	0.040	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			742/1	0.020	0.05
		कुल खसरा संख्या	**87**	**3.257**	**8.05**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1693/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1693 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अरसीपाली/14	249/2ख	0.028	0.07
			400/2	0.028	0.07
			399/1घ	0.150	0.37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अरसीपाली/14	379/1	0.081	0.20
			380	0.012	0.03
			362/1ग/2, 363/2	0.036	0.09
			379/3	0.024	0.06
			391	0.040	0.10
			382/3	0.040	0.10
			382/2क	0.053	0.13
			382/1ख		0.00
			362/1ख	0.012	0.03
			382/1क		0.00
			364		0.00
			384/2ख	0.012	0.03
			384/3	0.089	0.22
			384/4	0.040	0.10
			396/4	0.036	0.09
			389	0.012	0.03
			362/1ग/1, 363/1	0.049	0.12
			399/1ख	0.016	0.04
			394/1	0.012	0.03
			352/1	0.028	0.07
			384/1क		0.00
			390/2	0.040	0.10
			390/1	0.008	0.02
			384/5	0.008	0.02
			कुल खसरा संख्या 27	**0.854**	**2.11**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1694/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1694 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जुनवानी/14	300, 306/1	0.069	0.17
			300, 306/2	0.069	0.17
			302/3	0.081	0.20
			301/1	0.141	0.35
			264/2क, 268/6क	0.061	0.15
			264/7क, 268/2क	0.024	0.06
			260/3	0.024	0.06
			235/2	0.040	0.10
			259/3	0.016	0.04
			237/2	0.057	0.14
			256/2	0.004	0.01
			237/4	0.012	0.03
			259/2	0.008	0.02
			256/1	0.004	0.01
			238/3	0.020	0.05
			257/2	0.020	0.05
			258/1	0.016	0.04
			264/7ख, 268/2ख	0.061	0.15
			257/4	0.016	0.04
			239	0.020	0.05
			235/1	0.012	0.03
			260/1	0.012	0.03
			260/4	0.016	0.04
			257/1	0.008	0.02
			256/3	0.004	0.01
			257/3	0.012	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जुनवानी/14	300/3	0.016	0.04
		कुल खसरा संख्या	**27**	**0.843**	**2.08**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 1695/बी-121/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 1695 बी-121/2012-13 दिनांक 23-01-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-02-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरपाली/14	55	0.024	0.06
			52	0.032	0.08
			21/3	0.081	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरपाली/14	283/2	0.016	0.04
			42, 61/479/2/4	0.049	0.12
			49	0.028	0.07
			51/2	0.081	0.20
			91	0.061	0.15
			88/1, 89/1	0.040	0.10
			283/1	0.016	0.04
			21/1, 24/1, 24/2, 31/1, 41/478	0.024	0.06
			87	0.162	0.40
			27	0.109	0.27
			105	0.004	0.01
			104/4	0.028	0.07
			53/1	0.069	0.17
			280/13/1	0.004	0.01
			287/2क	0.049	0.12
			(272/1, 272/2)/1	0.024	0.06
			402/18	0.121	0.30
			270/1	0.053	0.13
			270/3	0.053	0.13
			(272/1, 272/2)/2	0.024	0.06
			(272/1, 272/2)/3	0.024	0.06
			287/1	0.049	0.12
			272/4	0.024	0.06
			28/2	0.028	0.07
			267/3	0.028	0.07
			21/5, 24/1, 28/1, 31/1, 41/478	0.194	0.48
			24/1, 28/1, 31/1, 21/10, 41/478	0.081	0.20
			28/2, 24/1, 31/1, 41/478, 21/4, 24/2, 31/1	0.081	0.20
			42, 61, 479/3	0.251	0.62
			295/1	0.032	0.08
			42, 61/479/2/5	0.008	0.02
			60/4	0.008	0.02
			54	0.081	0.20
			271	0.028	0.07
			273/1	0.040	0.10
			118/1	0.004	0.01
			89, 90	0.069	0.17
			285/1	0.032	0.08
			296/1	0.121	0.30
			116/2	0.040	0.10
			286/1	0.049	0.12
			270/1	0.049	0.12
			119/1	0.008	0.02
			402/6क	0.008	0.02
			29/1	0.020	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			116/1	0.008	0.02
			117	0.008	0.02
			402/62	0.008	0.02
			269/2	0.008	0.02
			402/60	0.012	0.03
			45/2	0.012	0.03
			285/1, 285/2	0.020	0.05
		कुल खसरा संख्या	**55**	**2.585**	**6.39**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

तीर्थराज अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4405.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/4749 रायपुर दिनांक 18-10-2012 द्वारा श्री बी. बी. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय बिलासपुर का पत्र क्रमांक 1443 दिनांक 19-09-2013 द्वारा अवगत कराया है कि श्री बी. बी. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के स्थान पर श्री एम. के. गुप्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी को उनके स्थान पर पदस्थ किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. बी. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एम. के. गुप्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4450.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7717 रायपुर दिनांक 11-02-2011 द्वारा श्री एस. पी. वैद्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कृषि उपज मण्डी समिति कोन्टा जिला-सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर सुकमा जिला सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 2742 दिनांक 16-09-2013 श्री सुखनाथ अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का नाम प्रस्तावित किया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. पी. वैद्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सुखनाथ अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कोन्टा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4452.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/26 रायपुर दिनांक 02-04-2012 द्वारा श्री पी. एस. श्रीवास्तव सहायक संचालक कृषि, कृषि उपज मण्डी समिति खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा अपने ज्ञापन क्र. 5340 दिनांक 02-08-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ में भारसाधक नियुक्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ का पद नाम प्रस्तावित किया गया है.

सचिव कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ का पत्र क्र. 181 दिनांक 27-09-2013 द्वारा यह अवगत कराया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर वर्तमान में श्री डी. एन. कश्यप पदस्थ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री पी. एस. श्रीवास्तव सहायक संचालक कृषि का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री डी. एन. कश्यप अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति खैरागढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/4557.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/4191 रायपुर दिनांक 19-09-2013 द्वारा श्रीमति जयश्री जैन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अभनपुर/आरंग को कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक/मंडी/स्था.-1/2013-14/822 नवापारा दिनांक 03-10-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमति जयश्री जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग/अभनपुर एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति नवापारा का स्थानांतरण राज्य निर्वाचन कार्यालय रायपुर में हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री दीपक अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग/अभनपुर को प्रभार सौंपा गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति जयश्री जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग/अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 34.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 04-03-2010 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 03-07-2012 एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक 14, रायपुर दिनांक 27-11-2012 अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 24-01-2013 तथा अधिसूचना क्रमांक 32 दिनांक 08-07-13 सामूहिक विवाह योजना में निम्नानुसार संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया—**

(i) आवेदक विवाह के तीन माह तक आवेदन कर सकते हैं.

उपरोक्त अधिसूचना, तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 35.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 14, रायपुर दिनांक 27-11-2012 तथा अधिसूचना क्रमांक 30, रायपुर दिनांक 01-06-2013 विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना—

(अ) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया—**

(i) उत्तराधिकारी की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में भी मृत्यु के एक वर्ष तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है.

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

सविता मिश्रा,
सचिव.